

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
पत्रांक २२७ / १५-१ दिनांक, अमरोहा, जुलाई, ०३/१४/२०१६

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :- जनपद अमरोहा, में बदायूं-बिजनौर मार्ग (एन.एच-५१) किमी० ११३.१०० की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-७९,, तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५९ हे० संरक्षित वनभूमि एवं ०८ बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

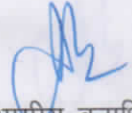
महोदय

उपरोक्त विषयक अमरोहा-बदायूं-बिजनौर मार्ग (एन.एच-५१) किमी० ११३.१०० की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-७९,, तहसील हसनपुर में एस्सार आयल रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५९ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०८ बाधक वृक्षों के विदोहन की अनुमति हेतु प्रस्ताव मय इंटरनेट फिडिंग सहित प्रभाग को प्राप्त हुए हैं।

अतः अमरोहा-बदायूं-बिजनौर मार्ग (एन.एच-५१) किमी० ११३.१०० की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-७९,, तहसील हसनपुर में स्थापित किये जा रहे, एस्सार आयल रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५९ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०८ बाधक वृक्षों की अनुमति प्रस्ताव तैयार कराकर प्रस्ताव भारत सरकार की बेवसाइट पर फिडिंग करते हुए प्राप्ति रसीद के साथ ०४ प्रतियां संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।